कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

Phone No. 07706-241445 Email Id : Cmogariaband@yahoo.in

क्रमांक / N.H.A. / क्वेक्स / 2025 / 280 गरियाबंद, दिनांक 24/03/2025

/ / आदेश / /

''अवैध क्लिनिक में डिलीवरी की 4 घंटे कोशिश के बाद किया रेफर जच्चा–बच्चा की हुई मौत'' शीर्षक से दिनांक 24.03.2025 को दैनिक भास्कर आंचलिक में समाचार प्रकाशित हुई है। ग्राम डुमाघाट निवासी पति पदमन नेताम की पत्नी गर्भवती योगेंन्द्री प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलीपदर (मैनपुर) में प्रसव हेतु पहुंचे जहां अस्पताल द्वारा जांच उपचार कर प्रसव समय नहीं होने पर वापस किए गये। मरीज को पुनः प्रसव पीड़ा होने परिजनों ने मरीज को टिकरापारा के किसी निजी क्लीनिक में ले गये जहां से उपचार करने वाले द्वारा मरीज को रेफर धर्मगढ़ निजी अस्पताल में किये जाने जहां मरीज मृत्यु की पुष्टि होने हुई है।

उक्त समाचार प्रकाशित घटना की जांच हेतु अवैध रूप से संचालित क्लीनिकल स्थापनाओं के विरूद्ध कार्यवाही बाबत् संदर्भ पत्र प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 15–145 / 2012 / नौ / सत्रह–एक नया रायपुर, दिनांकः 29 / 03 / 2017 एवं नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय टीम निम्नानुसार गठित की जाती है :–

1. डॉ. अंकुश वर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ (नोडल पीसीपीएनडीटी / नर्सिंग होम एक्ट.)
2. डॉ. हरीश कुमार चौहान (सर्जरी चिकित्सक अधिकारी)
3. डॉ. सुनील कुमार रेड्डी (नोडल जिला डाईग्नोस्टिक अधिकारी)
4. डॉ. प्रकाश साहू (खण्ड चिकित्सा अधिकारी वि.ख.देवभोग)
5. डॉ. योगेन्द्र रघुवंशी (आरएमएनसीएच, मातृ मृत्यु व शिशु मृत्यु)
6. श्री सोमेश्वर ठाकुर (नोडल सहायक एनएचए)
   जिला गरियाबंद (छ.ग.)

उपरोक्त जिला स्तरीय टीम उक्त घटना का पूर्ण जांच कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षकर्ता को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / N.H.A. / क्वेक्स / 2025 / 5314-5318 गरियाबंद, दिनांक 24/03/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी, छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं जिला गरियाबंद छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय गरियाबंद की ओर सूचनार्थ।
3. नोडल अधिकारी, छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं जिला गरियाबंद को सूचनार्थ।
4. खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकासखंड मैनपुर, एवं देवभोग की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)